न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
दावा बाबत आर0टी0ए0 88
प्रकरण संख्या–235/2019

बलराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

तहसीलदार राजस्व टिब्बी। प्रतिवादी

उपस्थिति–श्री बनवारीलाल गौड़ अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :–

वादी ने प्रतिवादी के विरूद्व यह दावा बाबत् घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादी के नाम से चकनं0 11 जीजीआर के खाता सं0 75/73 में कुल 3.858 है0 भूमि दर्ज है जिसमें वादी का नाम राजेन्द्र उर्फ बलराम दर्ज है तथा वादी के पुत्र सचिन ढाका के नाम से चकनं0 11 जीजीआर के खाता सं0 95/37 में कुल 3.865 है0 नहरी मय गै0मु0 भूमि दर्ज है जिसमें वल्दियत में भी वादी का नाम राजेन्द्र उर्फ बलराम दर्ज है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में राजेन्द्र उर्फ बलराम दर्ज है जबकि वादी के आधार कार्ड, पैनकार्ड, शस्त्र लाईसैंस, ड्राईविंग लाइसैंस, राशनकार्ड में बलराना दर्ज है। वादी को बैंक से ऋण लने व पानी की पर्ची बनाने में परेशानी रहती है। इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में आधार कार्ड, पैनकार्ड, शस्त्र लाइसैंस, राशनकार्ड व अन्य दस्तावेजो के आधार पर चकनं0 11 जीजीआर के खाता सं0 75/73 में व अपने पुत्र सचिन ढाका के नाम से दर्ज चकनं0 11 जीजीआर के खाता सं0 95/37 में दर्ज भूमि में राजेन्द्र उर्फ बलराम के स्थान पर बलराम नाम की दुरूस्ती करवाना चाहता है। नाम सही होने से स्टेट में कोई हित प्रभावित नही होते। फोटो कॉपी आधार कार्ड, पैनकार्ड, पास बुक, ड्राईविंग लाईसैंस, शस्त्र लाइसैंस आदि की फोटो प्रति पेश है। वादी के समस्त दस्तावेजात में वादी का सही नाम बलराम दर्ज होने तथा राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राजेन्द्र उर्फ बलराम व वादी के पुत्र सचिन ढाका की वल्दियत में वादी का नाम राजेन्द्र उर्फ बलराम होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन हो रहा है व तथा वादी अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो रहा है। वादी को उक्त भूमि पर मिलने वाली सुविधाओं मे भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है व दोनो नामो में भिन्नता बनी रहती है। अतः वादी घोषणा इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादपत्र कीदफा 2 मे दर्ज आराजी में अपना नाम राजेन्द्र उर्फ बलराम के स्थान पर सही नाम बलराम व अपने पुत्र सचिन ढाका की वल्दियत में अपना नाम राजेन्द्र उर्फ बलराम के स्थान पर बलराम नाम अंकित करवाना चाहता है। इस सम्बन्ध में टिब्बी ग्राम पंचायत द्वारा राजेन्द्र उर्फ बलराम एक ही व्यक्ति है, का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है जो वाद के साथ पेश किया है। नाम दुरूस्त करवाने से खातेदारी हक हकूक पर व राज्य हित पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ेगा।

वादी ने प्रतिवादी को वादपत्र की दफा 2 में दर्ज में वादी का नाम व वादी के पुत्र की वल्दियत में वादी का नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

Scanned by CamScanner

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया गया।प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।प्रतिवादी स्टेट द्वारा अपना जवाबदावा पेश किया गया जिसमें स्टेट द्वारा कोई आपति नही की गई, स्टेट द्वारा अंकित किया गया है कि वादी का नाम राजेन्द्र उर्फ बलराम के स्थान बलराम नाम अंकित किया जाता है तो राज्यहित प्रभावित नही होते। प्रतिवादी स्टेट की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा शामिल पत्रावली किया गया।

वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी की भूमि में वादी का नाम राजेन्द्र उर्फ बलराम व वादी के पुत्र के राजस्व रिकार्ड में वल्दियत राजेन्द्र उर्फ बलराम दर्ज है जबकि वादी का सही नाम बलराम है जिसकी ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक भी जारी की हुई है। इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपना नाम राजेन्द्र उर्फ बलराम के स्थान पर बलराम दर्ज करवाना चाहता है जिसका स्टेट द्वारा कोई विरोध नही किया गया है। वादी के नाम की दुरूस्ती से राज्यहित प्रभावित नही होते है। वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री फरमाया जावे।

वहस सुनी गई।दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी वादी के नाम से दर्ज है, जिसमें वादी का नाम राजेन्द्र उर्फ बलराम नाम दर्ज है, वादी अपना सही नाम बलराम दर्ज करवान चाहता है। वादी का वाद मात्र दुरूस्ती का है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि चकनं0 11 जीजीआर के खाता सं0 75/73 में वादी का नाम राजेन्द्र उर्फ बलराम तथा वादी के पुत्र सचिन ढाका के नाम से चकनं0 11 जीजीआर के खाता सं0 95/37 में दर्ज वल्दियत में राजेन्द्र उर्फ बलराम को दुरूस्त कर राजेन्द्र उर्फ बलराम के स्थान पर बलराम अंकित किये जाने आदेश दिये जाते है। उपरोक्त अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तरतीव तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 3-9-11 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मीनू वर्मा) एवं
सहायक कलक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी।

Scanned by CamScanner